

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-84/2017/4547/पांच-8-2017-म(178)/2012टीसी0-1
लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-जाप

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ(डी0सी0एच0) द्विवर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में शासन के कार्यालय जाप संख्या-62/2017/3492/पांच-8-2017-म(172)/2012टीसी-1, दिनांक 25-07-2017 के क्रम संख्या-3 एवं 4 पर उल्लिखित चिकित्साधिकारियों यथा- डा0 अमित कुमार सिंह एवं डा0 क्षेत्रपाल यादव का जिला चिकित्सालय पी0आई0सी0यू0, लखीमपुर खीरी तैनात किया गया था।

2- सम्यक विचारोपरान्त डा0 अमित कुमार सिंह एवं डा0 क्षेत्रपाल यादव, चिकित्साधिकारी को पूर्व तैनाती स्थल क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौडीराम गोरखपुर व सामु0स्वा0 केन्द्र, बासुडीहा, गोरखपुर में यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त कार्यालय जाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।


3- उपरोक्त सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी पूर्व तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जवाहर लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2017/4547 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- निदेशक, संक्रामक रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/गोरखपुर मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/लखीमपुर खीरी।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-2/3
- 10- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

D.C.H.u.o.m.n

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-85/2017/4856/पांच-8-2017-टी0(29)/2017
लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-जाप

शुद्धि पत्र

शासन के कार्यालय जाप संख्या-80/2017/4500/पांच-8-2017-टी0(29)/2017, दिनांक 04-10-2017 के क्रमांक-7 पर स्थानान्तरित चिकित्सक डा0 रमाशंकर गुप्ता, जिला चिकित्सालय, बहराइच को जिला चिकित्सालय, गोण्डा में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त आदेश में चिकित्सक की विशेषज्ञता त्रुटिवश अंकित नहीं की गयी थी, जबकि डा0 रमाशंकर गुप्ता की विशेषज्ञता डी0सी0एच0(बाल रोग विशेषज्ञ) है।

2- अतएव उक्त कार्यालय जाप दिनांक 04-10-2017 के क्रम संख्या-7 के स्तम्भ-2 में एम0बी0बी0एस0 के साथ ही विशेषज्ञता डी0सी0एच0 अंकित करते हुए जिला चिकित्सालय, बहराइच से जिला चिकित्सालय, गोण्डा में इनकी तैनाती बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर की गयी है।


कार्यालय जाप दिनांक 04-10-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

शिवगोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या-85/2017/4856(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा/बहराइच।
- 5- कोषाधिकारी, गोण्डा/बहराइच।
- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 7- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।